

प्रोफार्मा-अ
अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद.....बुलन्दशहर.....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या.....F.O.S/ काशी/ बुलन्दशहर/ 2021

दिनांक.....16/01/2021

सेवा में,

स्वामी/ प्रबन्धक,

जे० पी० विद्या मन्दिर
अनूपशहर बुलन्दशहर
जनपद.....बुलन्दशहर

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या.....शून्य.....दिनांक.....12/01/2021

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध24 (चौबीस)
अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या:-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये.....240/- दो सौ चौरासी भारतीय स्टेट बैंक शाखा.....00624 बुलन्दशहर
जनपद.....बुलन्दशहर में चालान संख्या.....AF 60037 दिनांक.....15/01/21 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति रसीद प्राप्त होने के उपरान्त आप द्वारा उपलब्ध कराये गये.....24 (चौबीस) अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत है-

1. चेकिंग का दिनांक। 15/01/2021
2. पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम।
3. संस्थान का विवरण। जे० पी० विद्या मन्दिर अनूपशहर बुलन्दशहर
4. संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या।
5. परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 24 (चौबीस)
6. चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
01	A. B C टाइप	4.5 Kg	22 (बाइसे)	कार्यशील
02	CO ₂ टाइप	4.5 Kg	02 (दो)	कार्यशील

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शेष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

16/01/2021
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(नाम एवं हस्ताक्षर)
मुख्य अग्निशमन अधिकारी
मुहर